संख्या:38/2022/101/35-4-2022

प्रेषक,

ऋषिकेश दुबे,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गोरखपुर।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 27 जनवरी, 2022

विषय: वित्तीय वर्ष 2021-22 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में जनपद गोरखपुर में शासनादेश संख्या-181/2021/1694/35-4-2021 दिनांक 21 अक्टूबर, 2021 द्वारा सड़क निर्माण से सम्बंधित 11 कार्यों की रू. 2531.90 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 261.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। जिलाधिकारी, गोरखपुर के पत्र सं0-763/त्व0आ0वि0यो0/2021-22, दिनांक 03 जनवरी,2022 एवं पत्र संख्या-818/त्व0आ0वि0यो0/2021-22, दिनांक 17 जनवरी, 2022 द्वारा उक्त शासनादेश से स्वीकृत कार्यों में से 08 कार्यों हेतु अनुमोदित लागत रू. 1790.82 लाख के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त धनराशि रू. 187.00 लाख का पूर्ण उपभोग होना इंगित किया गया है। एतद्द्वारा सन्दर्भित शासनादेश से स्वीकृत कार्यों हेतु लागत के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त धनराशि को समायोजित करते हुए अवशेष देय रू. 1603.82 लाख (रूपये सोलह करोड़ तीन लाख बयासी हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(रू. लाख में)

	कार्य	अनुमोदित लागत	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	एन0एच0-28 पर स्थित भारत पेट्रोल पम्प से मलौनी बांध तक विभिन्न सम्पर्क मार्ग का निर्माण	271.67	27.00	244.67
2	वि0ख0- पिपराईच में बेला चौराहे से नथुआ होते हुए केवटली पिच पक्की मार्ग तक सड़क का निर्माण कार्य	210.00	21.00	189.00
3	ग्राम सभा-महुआ बसन्तपुर से बरवा बाबू होते हुए हेमछापर मार्ग तक पिच रोड का निर्माण कार्य	246.11	25.00	221.11
4	गोरखपुर देवरिया मार्ग से सूबा बाजार गांव तक विभिन्न सम्पर्क मार्ग का निर्माण	251.18	25.00	226.18
5	गोरखपुर महानगर के मोहल्ले जंगल सालिकराम सेक्टर नं0-3 (शिवपुर सहबाजगंज) में श्री दयाशंकर विश्वकर्मा के मकान से गोड़धोइया नाले तक एवं उसके दोनों ओर की गलियों की सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य	286.41	29.00	257.41
6	शक्तिनगर वार्ड में मेडिकल कालेज मुख्य मार्ग से पीयूष बंका जी के आवास से अर्जुनबलानी जी के आवास होते हुए सुरेन्द्र सिंह के आवास तक सड़क निर्माण कार्य	76.95	15.00	61.95
7	वि0ख0-पिपराईच में उनौरा बाजार से नीना थपा कन्या इण्टर कालेज होते हुए चिलबिलवां तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण	224.92	22.00	202.92
8	वि0ख0-पिपराईच में पिपराईच-सोनबरसा पिच मार्ग के गढ़वा से हरखापुर होते हुए रितीया मिल गेट से रिठीया गांव तक पिच रोड का निर्माण	223.58	23.00	200.58
	योग:	**1790.82**	**187.00**	**1603.82**

1- सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 21 अक्टूबर,2021 की शर्तें यथावत लागू रहेगी।

2- प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि एक सप्ताह के अन्दर नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

4- इस शासनादेश से उक्त कार्यों के लिए अनुमोदित लागत के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि का आवंटन हो जाता है। कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

5- स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त/अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2022 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2022 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2022 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

7- वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए स्वीकृत बजट के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्याः 3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनांक 22 मार्च, 2021 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8- कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था द्वारा सम्परीक्षित लेखे अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जायेंगे।

2- उपर्युक्त कार्यों पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40-लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-03-ग्रामीण क्षेत्रों में अधूरी सड़को के लिए एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनांक 22 मार्च, 2021 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(ऋषिकेश दुबे)
विशेष सचिव।

संख्या:38/2022/101(1)/35-4-2022 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज (इलाहाबाद)।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज (इलाहाबाद)।
3- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0प्र0शासन।
4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
5- प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0शासन।
6- प्रमुख सचिव, विधान सभा।
7- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
8- मण्डलायुक्त, गोरखपुर।
9- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0।
10- मुख्य विकास अधिकारी, गोरखपुर।
11- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर।
12- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, गोरखपुर।
14- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, गोरखपुर।
15- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ऋषिकेश दुबे)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in